

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं है । तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एवम सिद्धी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक १३४४ दिनांक ०१/०२/२०२१

प्रार्थना सुनील देवा/०४३३ देवी प्रसाद

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९

धारा १९४ (७) (घ) के तहत आवेदन

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में

कर स्वनिर्धारण राशि रु. १३५०/- जमा

जरिये रसीद संख्या २०६०/१५११, १५१२

दिनांक ०१/०२/२०२१ को जमा करा जा रहा है ।

P.No - ३५६६२ सी सरस्वती नगर

जी.सि।

आवासीय

०१/०२/२०२१
सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Received
7737492242